

‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ में प्रदेश के 1074 अनुसूचित जातिबिहुल ग्राम चयनित

चर्चा में क्यों?

- 20 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जन-संपर्क विभाग द्वारा बताया गया कि ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ में मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जातिबिहुल ग्राम का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2021-22 में योजना के श्रेष्ठ क्रयान्वयन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के 3 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें गुना जिला द्वितीय और सीहोर जिला तृतीय स्थान पर है।
- गौरतलब है कि अनुसूचित जातिबिहुल ग्रामों के समेकित विकास के लिये केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ संचालित की जा रही है। योजना में 500 या उससे अधिक आबादी वाले ऐसे गाँवों का चयन किया गया है, जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है।
- आदर्श ग्रामों में ग्रामवासियों को शासन की विभिन्न हतिग्राही मूलक योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुँचाया जाएगा। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं में सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाना, पात्र व्यक्तियों को नरिश्रति, वृद्धावस्था तथा वकिलांग पेंशन योजना का लाभ दिलाना, शत-प्रतिशत बच्चों का आँगनबाड़ी तथा शालाओं में प्रवेश कराना, पात्रतानुसार सभी वदियार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कराना, प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था, पात्र परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ प्रदान करना और प्रत्येक घर में वदियुत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना आदि शामिल हैं।
- ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ में चयनित ग्रामों की अधो-संरचना विकास के लिये बृहद स्तर पर कार्य किया जाएगा। इसमें ग्राम में शाला भवन, आँगनबाड़ी भवन, आंतरिक सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों के नरिाकरण की समुचित व्यवस्था आदि शामिल हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम में अधो-संरचना विकास के लिये गैप फिलिंग करने 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही राज्य की विभिन्न योजनाओं के साथ सामंजस्य कर ग्राम में अधो-संरचना विकास के कार्य किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि देश में ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ के क्रयान्वयन में मध्य प्रदेश प्रारंभ से ही शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान में 1074 ग्राम के संदर्भ में 5 लाख 53 हजार 108 व्यक्तियों को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जा चुका है।